



प्रेषक,

शैलेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

मुख्य विकास अधिकारी,
जालौन।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 में जनपद जालौन की 01परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपनेपत्र संख्या-24/बु0वि0नि0(राज्यांश) /2024-25, दिनांक 16.07.2024, पत्र संख्या-87/बु0वि0नि0(राज्यांश) /2025-26, दिनांक 25.09.2025, पत्र संख्या-123/बु0वि0नि0(राज्यांश) /2025-26, दिनांक 27.11.2025 एवं पत्र संख्या-143/बु0वि0नि0(राज्यांश) /2025-26, दिनांक 26.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा बुन्देलखण्ड विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद जालौन की 01परियोजनासे संबंधित प्रपत्र यथा- मांग प्रपत्र(बी0एम0-15), यूसी/फॉर्म-42 आई, एनेग्जर-2, फोटोग्राफ, गुणवत्ताप्रमाणपत्र सहित अनुबन्ध की लागत के आधार पर जी0एस0टी0 एवं अन्य अनुमन्य चार्जज संबंधी सूचना उपलब्ध करातेहुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजना हेतु स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति स्तम्भ-3 में अंकित शासनादेश द्वारा प्रदान की गई है। तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजना के चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रियान्वयन हेतु अगली किश्त के रूप में संबंधित परियोजना के सम्मुख स्तम्भ-12 में अंकित धनराशि ₹070.17लाख (रूपये सत्तर लाख सत्रह हजार मात्र)बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 से अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

बुन्देलखण्ड विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40(धनराशि ₹0 लाख में)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र	परियोजना का नाम	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई कि.मी. में	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	कार्य के अनुबन्ध की लागत	जीएसटी एवं अन्य कर मर्दों की लागत	कार्य एवं कर मर्दों का कुल योग	अब तक अवमुक्त धनराशि	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि (5-8)	जनपद द्वारा मांगी गयी अवशेष धनराशि	उपलब्ध करायी गयी GST एवं अन्य सूचना अनुसार अवमुक्त धनराशि (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिकरी राजा से हिडोखरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	08/2022/आई0/13054 7/2022 लो0नि0 अनुभाग-14 दिनांक 07.01.2022	4.75	304.63	249.76	65.87	315.63	245.46	-11.00	70.45	70.17

(रूपये सत्तर लाख सत्रह हजार मात्र)

3. शर्तें एवं प्रतिबन्ध:-

- यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर किसी अन्य परियोजना पर व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।
- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढंग से पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण कराये जायें। सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो। यदि धनराशि का दुरुपयोग होगा तो उसके लिये आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय, कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूर्ण करा लिया जाय।
- आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप में सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा पूर्व में कराये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।

5. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में कदापि नहीं रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

7. परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेंगे।

8. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

9. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाय।

10. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति मुख्य विकास अधिकारी अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

11. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

12. स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2026 तक अवश्य अवश्य कर लिया जाय तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

13. परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई परउपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टि के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

14. मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

15. परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

16. नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/ दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्रविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

19. कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 के प्रस्तर-2 (3) के निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

20. जिन कार्यों हेतु एडिशनल ड्राइंग डिजाइन, टेंटेटिव वेरिएशन लिया गया है, इस सम्बन्ध में में सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही व्ययकिया जायेगा।

21. विषयगत कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत मूल शासनादेश के नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 70.17 लाख (रूपये सत्तर लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक " 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य -800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखंड की विशेष योजनाओं पर पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025- 231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7. मण्डलायुक्त, झांसी।
8. जिलाधिकारी, जालौन।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जालौन।
12. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जालौन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।